न्यायालय संभागीय आयुक्त, अजमेर

(बईजलास भंवर लाल मेहरा, आई.ए.एस संभागीय आयुक्त, अजमेर)

अपील एल.आर. संख्या 217/2021/जिला–अजमेर

आम जनता ग्राम गणेशपुरा जरिये प्रतिनिधिगणः–

1. पूनम सिंह पुत्र गोपी सिंह जाति रावत
2. रणजीत सिंह पुत्र खीम सिंह जाति रावत
3. राजू सिंह पुत्र सुखदेव सिंह जाति रावत
4. गंगा सिंह पुत्र नारायण सिंह जाति रावत
5. रामेश्वर लाल पुत्र शेरा राम जाति भांबी
6. गोविन्द सिंह पुत्र मदन सिंह जाति रावत
7. प्रकाश सिंह पुत्र रणजीत सिंह जाति रावत
   समस्त निवासी गणेशपुरा तहसील ब्यावर जिला अजमेर।

———अपीलार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार ब्यावर जिला अजमेर।

————प्रत्यर्थी

———

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956,
विरूद्ध आदेश न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, ब्यावर
दिनांक 30–09–2020 प्रकरण संख्या 241/2020

————

उपस्थित– 1. श्री जी.एस.लखावत अभिभाषक अपीलार्थीगण
2. श्री आकाश पारीक, राजकीय अभिभाषक प्रत्यर्थी

निर्णय

दिनांकः– 14–09–2022

अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम गणेशपुरा में पटवार घर एवं कार्यालय नहीं होने से आम जनता को काफी परेशानी होती है तथा ग्राम गणेशपुरा में आबादी क्षैत्र में गांव के चिपते हुए भूमि उपलब्ध होते हुए भी ग्राम गणेशपुरा से लगभग 1 किलोमीटर दूर पटवार घर एवं कार्यालय हेतु खसरा नम्बर 467 में से 0.0809 हैक्टर भूमि का उपखण्ड अधिकारी ब्यावर ने अपने आदेश

दिनांक 30–9–2020 से आवंटन किया गया जो कि ग्रामवासियों के हितों के विपरीत जाकर विधिविरूद्ध आदेश पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी, ब्यावर के उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थीगण द्वारा यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है।

अपील Subject-to-limitation दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किये गये तथा संबंधित अभिलेख मंगवाया गया। दोनों पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

अपीलार्थी के अभिभाषक द्वारा मियाद अधिनियम की धारा–5 पर अपीलार्थी की ओर से पक्ष रखते हुए कथन किया गया कि ग्राम गणेशपुरा में ग्रामवासियों से चर्चा के दोरान गांव से एक किलोमीटर दूर पटवार घर कार्यालय बनाने हेतु भूमि का आवंटन किया गया है जिसकी जानकारी दिनांक 30–9–2020 को हुई तत्पश्चात उक्त आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त कर ग्रामवासियों ने गांव में मीटिंग आयोजित कर प्रतिनिधिगण को कार्यवाही हेतु अधिग्रहित किया तथा अजमेर आकर अभिभाषक से सम्पर्क कर अपील प्रस्तुत करने के निर्देश दिये परन्तु दिनांक 18–4–2021 से कोरोना लॉकडाउन होने से तथा कोरोना की दूसरी लहर घातक होने तथा राजकीय कार्यालय बन्द होने से अपील प्रस्तुत नहीं की जा सकी। कार्यालय खुलने के बाद अपीलार्थीगण द्वारा अपील तैयार की जाकर दिनांक 21–6–2021 को अपील प्रस्तुत की गई। अतः अपील प्रस्तुत करने में हुआ विलम्ब सद्भाविक कारणों के रहते हुआ है, इस कारण विलम्ब को क्षमा किया जाकर प्रस्तुत अपील को अन्दर मियाद शुमार किये जाने के आदेश प्रदान किये जावे।

प्रत्यर्थी के राजकीय अधिवक्ता द्वारा अपीलार्थीगण के अधिवक्ता की मियाद के बिन्दु पर बहस का जवाब देते हुए निवेदन किया गया कि अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत मियाद अधिनियम की धारा–5 का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं होने से खारिज किया जावे। मियाद हेतु छूट चाहने बाबत कोई ठोस कारण अंकित नहीं किया गया है। मियाद में छूट चाहने बाबत ठोस कारण अंकित करने चाहिए थे। मियाद में छूट चाहने हेतु प्रतिदिन बाबत संतोषजनक कारण अंकित किया जाना चाहिए। इस प्रकरण में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत मियाद के छूट के प्रार्थना पत्र में ऐसा कारण भी नहीं दिया गया है। अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाकर अपील को मियाद के बिन्दु पर ही निस्तारित करते हुए अपील खारिज की जावे।

हमने विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी के मियाद के बिन्दु पर दिये गये तर्कों तथा प्रत्यर्थी अभिभाषक के जवाब पर गौर किया एवं इसी संबंध में माननीय उच्च न्यायालय एवं राजस्व मण्डल द्वारा समय–समय पर प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार प्रकरण की मेरिट पर विचार करना कानून एवं विधि की मांग होने से अभिभाषक अपीलान्ट् द्वारा बहस के दौरान मियाद अधिनियम की धारा–5 के तहत प्रस्तुत वास्तविक स्थिति के मध्येनजर प्रकरण प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षमा

किया जाता है। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत धारा–5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा लिखित बहस प्रस्तुत की गई जिसमें उल्लेखित किया गया है कि ग्राम गणेशपुरा में आबादी क्षैत्र की भूमि उपलब्ध होने के बावजूद भी एक किलोमीटर दूर पटवार घर एवं कार्यालय हेतु भूमि आवंटन किये जाने बाबत अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ब्यावर ने आदेश पारित किया है जो त्रूटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

उनका यह भी कथन है कि अधीनस्थ न्यायाल द्वारा पारित भूमि आवंटन आदेश पटवार घर व कार्यालय उपयोग हेतु पारित किया गया है जबकि वास्तव में ग्राम गणेशपुरा में आम जनता को कई कार्य हेतु कृषि अभिलेख की आवश्यकता रहती है इसके अलावा राज्य सरकार की कई योजनाओं बाबत पटवारी से दस्तावेज तस्दीक कराने की आवश्यकता रहती है। इसके अलावा आवश्यक प्रमाण पत्र इत्यादि के लिए पटवार घर जाने की आवश्यकता रहती है तथा ग्राम की आबादी से अत्यधिक दूरी पर जिस भूमि का आवंटन किया गया है वह किसी भी प्रकार से उपयुक्त स्थल नहीं है ग्राम के वृद्ध, बेसहारा व्यक्ति एवं महिलाओं के लिए यह स्थान आने जाने हेतु किसी भी प्रकार से उपयुक्त नहीं है तथा ग्राम के चुने हुए जन प्रतनिधिगण तथा अन्य राजनैतिक व्यक्ति अपने हित साधन को देखते हुए अनुपयुक्त भूमि के आवंटन को प्रश्नगत करने से स्वयं को अलग किये हुए है तथा भूमि का आवंटन बाबत बनाये गये प्रस्ताव तथा समस्त कार्यवाही पोषिता तौर पर की गई है जबकि ग्राम की आबादी क्षैत्र में ही भूमि उपलब्ध है इस स्थिति में ग्राम की आबादी क्षैत्र में भूमि का आवंटन किये जाने के उद्देश्य से वर्तमान भूमि आवंटन आदेश दिनांक 30–9–2020 को निरस्त किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

उनका यह भी तर्क है कि ग्राम गणेशपुरा में पटवार घर एवं कार्यालय हेतु जो भूमि खसरा नम्बर 467 में आवंटित की गई है उक्त भूमि पर झूंझार जी का चबूतरा बना हुआ है तथा पास में ही नाथूसिंह, मिटठू सिंह, भागू सिंह, पांचू सिंह, करण सिंह का पुराना कब्जा है जिससे भी अकारण विवाद होने की संभावना है तथा जब ग्राम गणेशपुरा के रिहायशी क्षैत्र में भूमि उपलब्ध है तो ग्राम की आबादी से 1 किलोमीटर की दूरी पर पटवार घर हेतु किया गया आवंटन आदेश किसी भी प्रकार से विधिसम्मत नहीं होने से उपखण्ड अधिकारी, ब्यावर द्वारा पारित आवंटन आदेश दिनंक 30–9–2020 निरस्त किया जावे। अतः अपलार्थी की अपील स्वीकार कर उपखण्ड अधिकारी, ब्यावर द्वारा पारित आदेश दिनांक 30–9–2020 निरस्त किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

अपीलार्थीगण विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत लिखित बहस का जवाब देते हुए प्रत्यर्थी तहसीलदार, ब्यावर के विद्वान राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि उपखण्ड अधिकारी, ब्यावर द्वारा पारित आदेश दिनांक 30–9–2020 विधिक प्रक्रिया

अपनाकर पारित किया गया है। पटवार घर एवं कार्यालय हेतु मौके पर भूमि आरक्षित है जो सही है। अपीलार्थीगण विधिक पक्षकार नहीं है। अपलार्थीगण आपत्ति करने का कोई अधिकार नहीं है। अपीलार्थीगण द्वारा 96 सीपीसी का प्रार्थना पत्र भी पेश नहीं किया तथा अपील विलम्ब से प्रस्तुत की गई है जो निरस्त योग्य है। साथ ही पटवार घर व कार्यालय उपयोग हेतु ग्राम गणेशपुरा में आबादी क्षैत्र में भूमि सिवायचक नहीं होने के कारण सिवायचक भूमि खसरा नम्बर 467 कुल रकबा 3–15–10 किस्म दांती में से रकबा 00–10–00 बिस्वा भूमि अर्थात 0.0809 हैक्टेयर भूमि का तहसीलदार ब्यावर द्वारा प्रेषित प्रस्ताव एवं भूमि आवंटन चेकलिस्ट अनुसार पटवार घर एवं कार्यालय उपयोग हेतु उपखण्ड अधिकारी ब्यावर द्वारा भूमि आवंटन आदेश दिनांक 30–9–2020 पारित किया गया है जो विधिसम्मत है। अतः अपलार्थीगण की अपील सारहीन एवं तथ्यहीन होने से निरस्त किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

मैंने अपीलार्थीगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत लिखित बहस एवं तहसीलदार, ब्यावर के राजकीय अधिवक्ता की सुनी बहस पर गम्भीरतापूर्वक मनन किया तथा संबंधित अभिलेख का अवलोकन व अध्ययन किया जिसके अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि उपखण्ड अधिकारी, ब्यावर ने तहसीलदार, ब्यावर द्वारा ग्राम गणेशपुरा के खसरा नम्बर 467 कुल रकबा 3–15–10 (0.6111 हैक्टेयर) किस्म दांती जो कि राजकीय कार्यालय एवं भवन के उपयोग हेतु आरक्षित है, में से 10 बिस्वा अर्थात 0.0809 हैक्टर भूमि का पटवार घर एवं कार्यालय उपयोग हेतु भूमि आवंटन करने हेतु प्रस्ताव मय चेकलिस्ट व मौका नक्शा के प्रस्तुत किया गया था। तहसीलदार, ब्यावर की अनुशंषा के आधार पर राजस्थान भू–राजस्व (स्कूलो, कॉलेजो, चिकित्सालयों, धर्मशालओं एवं अन्य सार्वजनिक भवनों के निर्माण हेतु बिना कब्जे की राजकीय भूमि के आवंटन) नियम 1963 के तहत राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 102 के नियम 4 में वर्णित खण्ड 2 उपखण्ड (ड) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निःशुल्क भूमि आवंटन करने के आदेश पारित किये है।

यहां यह उल्लेख करना उचित होगा कि राजकीय कार्यालय खोलने एवं भवन निर्माण हेतु सिवायचक भूमि में से ही भूमि आरक्षित करने का नियमों के प्रावधान है। तहसीलदार, ब्यावर की रिपोर्ट क्रमांक 1689 दिनांक 23–9–2020 के अनुसार ग्राम सेदरिया के आबादी क्षेत्र से लगते अथवा आस–पास पटवार भवन हेतु कोई सिवायचक भूमि उपलब्ध नहीं है। पटवार भवन एवं कार्यालय हेतु ग्राम गणेशपुरा में प्रस्तावित भूमि सिवायचक है जो राजकीय कार्यालय एवं भवनों हेतु आरक्षित है। नजरी नक्शा अनुसार प्रस्तावित भूमि खसरा नम्बर 467 रकबा 00–10–.00 के पास राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, पुलिस चौकी व जोधपुर उदयपुर बाईपास निकला हुआ होने से प्रस्तावित भूमि पटवार घर एवं कार्यालय हेतु उपयुक्त होने के कारण उपखण्ड अधिकारी, ब्यावर द्वारा आवंटन आदेश दिनांक 30–09–2020 पारित किया है जो विधिसम्मत है। अपीलर्थीगण अभिभाषक

का ग्राम गणेशपुरा से पटवार भवन एक किलोमीटर की दूरी का कथन उचित प्रतीत नहीं होता है। ऐसी स्थिति में अपीलार्थीगण की अपील निरस्त योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपीलार्थीगण की अपील सारहीन एवं तथ्यहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ब्यावर द्वारा पटवार घर एवं कार्यालय हेतु पारित भूमि आवंटन आदेश दिनांक 30–09–2020 अन्तर्गत प्रकरण संख्या 241/2020 विधिसम्मत होने से यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 14–09–2022 को खुल न्यायालय में सुनाया गया।

(भंवरलाल मेहरा)
संभागीय आयुक्त,
अजमेर